निर्णय बद्दजलास के. आर. चौहान (R.A.S.) सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जिला राजसमन्द राज0

वाद सं0 75/2016 रे0 वाद

निर्णय दिनांक –30.04.2018

अनवान

1. श्रीमती होनी बाई पत्नि श्री मोहन सिंह जी जाति रावत आयु 43 वर्ष निवासी कामला तह0 देवगढ जिला राजसमन्द राज0

– वादीया

बनाम

1. मोडी पुत्री नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
2. पारसी पुत्री नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
3. भागु पिता नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
4. अणसी पिता नारू उर्फ नाहरमल जाति माली निवासी देवगढ जिला राजसमन्द
5. नाथु पिता श्री रामा जाति माली निवासी खेडीया तह0 आमेट जिला राजसमन्द
6. वरदा राम पिता चुनाजी जाति माली निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. पन्ना लाल पिता चुनाजी जाति माली निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. चम्पा पिता चुनाजी जाति माली निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. लखमा पिता श्री चुना जाति माली निवासी चेता आसन जिला राजसमन्द
10. भंवर लाल पिता उंकार जाति माली निवासी देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादी का वाद संक्षेप मे इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम चेताआसन पटवार सर्कल कामली तह0 देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा मे वादी की आराजियात स्थित है जिसके खसरा नं0 76 रकबा 4 विस्वा, खसरा नं0 87 रकबा 13 विस्वा कुल किता 2 रकबा 17 विस्वा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात नाहरमल पिता धुलीराम माली निवासी देवगढ के स्वामित्व खाते दर्ज थी एव हिस्से मे थी स्वर्गीय नाहरमल ने उक्त भूमि मे से 5/6 हिस्सा मुझ वादीया को रजिस्टर्ड विकय पत्र से दिनांक 30.04.2009 को बेचान कर दिया। उपपंजियक कार्यालय देवगढ मे विकय पत्र निष्पादित कर पंजीयन करवाया। कानुनी जानकारी के अभाव मे नामान्तरण नही खुला सका। मौके पर विकय पत्र की दिनांक से आज दिनांक तक वादीया का कब्जा कास्त है।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

श्री नाहरमल पिता धुलीराम जी की मृत्यु के बाद आराजी सं0 76 व 87 का 5/6 हिस्सा का नामान्तरण सं0 287 दिनांक 08.03.2016 से प्रतिवादीगण सं0 1 से 4 के नाम दर्ज हो गया जब कि भूमि के वास्तविक मालिक मै वादीया हुं एव विकय पत्र के आधार पर मेरे नाम नामन्तरण खोलना था एव राजस्व रिकोर्ड मे भूमि मेरे नाम दर्ज होनी थी जो दर्ज होने से रह गई। प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज है जिसे हटाया जाकर मेरे नाम 5/6 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराये जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावे की उक्त भूमि अन्य किसी को हस्तानान्तरण अन्तरीत नही करे व वादी के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन नही करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता गोविन्द कंसारा ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी ने बताया की उकत भूमि के सम्बन्ध मे पुर्व मे राजस्व न्यायालय आप मे एक प्रकरण नाहरमल बनाम नाथुलाल प्रकरण सं0 62/16 प्रस्तुत हुआ था उस समय नाहरमल 1/12 हिस्से का खातेदार था शेष भूमि अन्य प्रतिवादीगण की थी। दौराने वाद एव अपील नाहरमल ने अपना सम्पुर्ण हिस्सा नन्दकंवर को विकय कर दिया। जब कि उसे अपने स्वतः हक हिस्से अधिक भूमि विकय करने का अधिकार नही था दौराने वाद जो विकय किया गया वह उसके हक स्वतः हक तक का ही था अधिक विकय किया गया वह सम्पति अन्तरण की धारा 52 के तहत शुन्य है वास्तव मे उक्त आराजियात मे नाहरमल का 1/6 हिस्सा उससे अधिक किये गये विकय शुन्य है प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एव जवाब का अवलोकन किया गया राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 से 4 का कोई हक हकुक अधिकार उक्त नाहरमल के हिस्से मे नही है एव नाहरमल ने पुर्व मे ही उक्त भूमि मे अपना हिस्सा वादीया को विकय कर दिया है नाहरमल की मृत्यु के बाद गलत रूप से नाहरमल का हिस्सा जो पुर्व मे विकय कर दिया गया था वह प्रतिवादी सं0 1 से 4 के नाम दर्ज हो गया है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का माफिक हिस्सा सही है। वादीया नाहरमल का हिस्सा जो वास्तव मे 1/6 था वही पाने का हक व अधिकारी है अपने हिस्से से अधिक विकय की गई भूमि वादीया पाने की अधिकारीनी नही है प्रतिवादीगण ने भी अपना हिस्सा सतवीरसिह को विकय किया है वह भी माफिक हिस्सा विकय किया गया है एव विकय अनुसार सतवीरसिह मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है पर्चा मौका पटवार हल्का द्वारा मंगाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उसमे भी उक्त आराजियात पर माफिक हिस्सा सतवीरसिह व लखमा का पाया गया शेष हिस्सा आराजी सं0 76 व 87 का 1/6 हिस्सा मौके पर खाली पडा है। उसके प्रभाव मे बाद का विकय शुन्य व अवैद्य है।

सहायक कलेक्टर
गढ़,जिला-राजसमन्द

अतः वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एव आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज खसरा नं0 76 व 87 कुल किता 2 रकबा 17 विस्वा भूमि मे वादीया श्रीमति होनी बाई को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एव खाते मे दर्ज नाहरमल के वारीसान प्रतिवादी सं0 1 से 4 नाम विलोपित किया जाकर आराजियात खसरा नं0 76 व 87 कुल किता 2 रकबा 17 विस्वा भूमि को वादीया होनी बाई को 1/6 का राजस्व रिकोर्ड मे नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खातेदार का नाम पुर्व की भाति रखे जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को न्यायालय आम मे सुनाया गया । पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय अनुसार डिकी जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर, देवगढ